[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३६ नई दिल्ली, फरवरी २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी के लिए समाज को शून्य सहनशीलता दर्शाना होगा'

श्री सुधीर यादव

दिल्ली में १६ दिसम्बर २०१२ के बलात्कार की भयानक वारदात के बाद पुलिस के काम करने के तरीके पर देश भर से सवाल उठाए गए। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रतिक्रियात्मकता दर्शाने के लिए कई कदम उठाए। इन्हीं बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक श्री सुधीर यादव से दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

सर, पिछले महीने से देखने में आया है कि दिल्ली पुलिस महिलाओं और दूसरे कमज़ोर वर्गों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। आपके विचार में सड़कों पर उनकी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं?

ऐसा नहीं है कि महिलाओं और दूसरे कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति सबकुछ अभी ही किया जा रहा है। हाँ, यह सच है कि दिसम्बर की घटना के बाद उनकी ओर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसमें कुछ ज़िम्मेदारी पुलिस की है, कुछ आपराधिक न्याय व्यवस्था की और कुछ समाज की भी है।

१०० नं. की लाईनों को बढ़ा दिया गया है। तमाम १६१ थानों में २४X७ महिला पुलिसकर्मी उनकी शिकायत सुनने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि पुलिस ने अपने हिस्से की तैयारी कर ली है और अपने दायित्वों को निभाने के लिए तत्पर है लेकिन केवल इससे महिलाओं और दूसरे कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अपराध तुरन्त समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसके लिए समाज को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगा। दरअसल, यह मानसिकता और महिलाओं के प्रति रुझान में परिवर्तन से कम होगा और इसकी शुरूआत पहले घर से होनी चाहिए। घरों में यह समझाना चाहिए कि महिलाओं का आदर करना है और स्वंय अपने घरों में उनके साथ समानता का व्यवहार होते हुए दिखना चाहिए। इसी के साथ स्कूलों में महिला सहपाठियों के साथ समान व्यवहार करना सिखाना होगा। मीडिया द्वारा महिलाओं को मनोरंजन की सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना बंद करना होगा, तब जाकर धीरे–धीरे नई पीढ़ी से सुधार आएगा।

समाज की ओर से इस वर्ग के विरुद्ध हर प्रकार के अपराधों के ख़िलाफ शून्य सहनशीलता (ज़ीरो टौलरेंस) का पैगाम देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा तुरन्त दण्ड न मिलने के कारण भी कानून का भय अपराधियों को कम ही लगता है। अपराधी अगर पकड़े भी गए तो उन्हें मालूम है कि दण्ड इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इस लिए दो साल पहले हमने ट्रैफिक के केसों में अदालत के साथ मिलकर जहाँ इसका प्रावधान है उन केसों में दोषियों को ३ दिन, ४ दिन आदि का तुरन्त कारावास करवाया था, इससे बहुत असर पड़ा और अब उन मामलों में उल्लंघन के केसों में कमी आई है। हालांकि, यह समस्या केवल दिल्ली में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में है।

आप, महिला संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की मासिक मीटींग की अगुआई कर रहे हैं। इस बारे में कृपया यह बतलाएं कि इसकी सिफारिशों को लागू कराने की क्या प्रक्रिया और गुंजाईश है?

ऐसी किसी भी मीटींग में बहुत सी बातों पर चर्चा होती है। इस मीटींग में भी मुख्य रूप से कुछ चीज़ें निकल कर आईं जिनमें से कुछ पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं और कुछ के लिए हमने इन संगठनों को साथ मिलकर काम करने को कहा है। जैसे कि – एक बहुत व्यक्तिगत प्रकार की समस्या थी कि उक्त क्षेत्र में शराब का ठेका है वहाँ पर कुछ लोग जब भी महिलाएं निकलती हैं तो गंदी टिप्पणी करते हैं और पुलिस का इतना तत्पर सहयोग नहीं दिखाई पड़ता, इसके अलावा कुछ ने बताया कि कुछ इलाके बेहद सूनसान और अंधेरे हैं आदि। अब, दिल्ली पुलिस ने पहले से ही पुलिस के रुझान में बदलाव और प्रतिक्रियात्मकता को बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिये हैं, अंधेरे ईलाकों उचित रौशनी की व्यवस्था के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा हमने कुछ संगठनों को जोकि पहले से ही पुलिस प्रशिक्षण कर रही हैं, उन्हें एक बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने को कहा गया है ताकि पुलिसकर्मियों के बर्ताव में सुधार लाया जा सके।

बल में उपस्थित महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की कितनी गुंजाइश है ताकि उनकी उपस्थिति क्षेत्र में भी दिखे?

केवल उपस्थिति से उनकी सफलता को नहीं मापा जा सकता है। आज दिल्ली में केवल ६-७ प्रतिशत महिला पुलिस की संख्या है। ऐसे में उन्हें क्षेत्र में तैनात करना कठिन है। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं की शिकायत आने के अनुमानित समय में महिलाओं को थानों में उपस्थित रहना होता है। उसके अलावा २०० पुलिस बीट में जहाँ 'परिवर्तन' प्रोग्राम चल रहा है वहाँ महिलाओं को तैनात किया गया है क्योंकि यह महिलाओं से सम्बन्धित ही है।

जहाँ तक उन्हें मुख्यधारा में लाने की बात है, पहले से ही उनकी तैनाती सभी आवश्यक क्षेत्रों में होती है, कई एस.आई. स्तर के कर्मचारियों को जाँच का काम भी दिया जाता है, १०० नं की लाईनों पर अधिकांशतः महिलाएं ही तैनात हैं। जैसे–जैसे महिलाओं की बल में संख्या बढ़ेगी उनकी उपस्थिति क्षेत्रों में भी अधिक दिखाई देगी। कई महिलाएं स्वंय भी क्षेत्र में न रह कर ऑफिस में रहना चाहती हैं।

क्या आपके विचार में महिला पुलिसकर्मियों की 'संवेदनशील क्षेत्रों' में तैनाती से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी आएगी? यदि 'हाँ' तो इनकी अपर्याप्त संख्या के मद्देनजर यह कैसे सम्भव है? नए ग्रुप की भर्ती की सम्भावनाएं कब तक हैं?

जहाँ कहीं भी आवश्यकता नजर आती है वहाँ महिलाओं की तैनाती की जाती है। करीब ३०० बस स्टैंड हैं जिनका उपयोग महिलाएं रोज़ करती हैं, इसके अलावा कॉलेज, स्कूल और मार्केट क्षेत्र आदि। इससे कुछ प्रकार के अपराधों में आवश्य ही कमी आएगी।

जहाँ तक भर्ती की बात है तो गृह मंत्री श्री शिंदे की घोषणा के पहले ही ५०० महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती आम प्रक्रिया के अंर्तगत हो चुकी है। इसके अलावा हाल ही में २५०० और महिलाओं की भर्ती को गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। इसका बजट वित्त विभाग में

शेष पृष्ठ ३ पर .....

बूझो और जीतो-१४

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत गत वर्ष की गई थी और इसके प्रति आपकी रुचि के कारण हम इस वर्ष भी इसे जारी रखने वाले हैं।

इसके अंतर्गत पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या अदालत में न्यायाधीश के समक्ष गुनाह कबूल करने पर उसी समय अपराधी माना जा सकता है?

२. क्या अदालत किसी आरोप को बदल सकती है ?

३. क्या किसी गर्भवती महिला को मृत्युदण्ड दिया जा सकता है?

४. क्या किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण रिहा किया जा सकता है? किस प्रावधान के अंतर्गत?

५. क्या किसी अपराध में पीड़ित को मुआवज़ा मांगने का अधिकार है? यदि 'हाँ' तो किससे ओर किस प्रावधान के अंतर्गत?

बूझो और जीतो – ११ का परिणाम

नवम्बर २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. नहीं, गिरफ़्तारी वारंट मौखिक नहीं हो सकता है। द.प्र.सं. की धारा ७० में वारंट के स्वरूप की व्याख्या की गई है जिसके तहत वारंट लिखित, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रा उल्लेखित होगा।

२. हाँ, पुलिस अधिकारी को चोरी की हुई सम्पत्ति को द.प्र.सं. की धारा १०२ के अंतर्गत ज़ब्त करने का अधिकार है।

३. नहीं, द.प्र.सं. की धारा १५५(२) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय केसों में स्वतः ही अनुसंधान करने से मना किया गया है। लेकिन, सक्षम मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी अनुसंधान शुरू कर सकता है लेकिन गिरफ़्तारी नहीं कर सकता।

४. द.प्र.सं. की धारा ४३ के अंतर्गत कोई निजी व्यक्ति किसी आरोपी को गिरफ़्तार कर सकता है।

५. द.प्र.सं. की धारा १७६ के अंतर्गत मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में निकटतम सशक्त मजिस्ट्रेट 'मृत्यु समीक्षा' को ही इंक्वेस्ट कहते हैं।

विजेता

१. श्री महेन्द्र कुमार पीपलीवाल, सहायक सरकारी वकील, राजस्थान।

नोट : विजेता को पुरस्कार की राशी शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें –

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

पुलिस संवेदीकरण आज की आवश्यकता!

एफ.आई.आर. दर्ज कराना महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है। 'जो पुलिसकर्मी एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करते हैं उन्हें तुरन्त ही सस्पेंड कर देना चाहिए' यह कथन संघ गृह सचिव के उस समय थे जब महिलाओं के अधिक बढ़ते अपराधों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर नाराज़गी जताई जा रही थी। अगर संघ गृह सचिव ने विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई कई सिफ़ारिशों को पढ़ा होता तो वह यह जान पाते कि एफ.आई. आर. न दर्ज करने पर किसी पुलिसकर्मी के निलम्बन को जनता संदेह और थकान भरी दृष्टि से देखने लगी है।

एफ.आई.आर. न दर्ज करना एक गम्भीर और बड़ी समस्या है और इसे सम्पूर्ण रूप से हल करने की आवश्यकता है। आज की तारीख़ में पुलिस के कार्य–निष्पादन को अनुचित तरीके से मापा जाता है। पुलिस के काम की सफलता को मुख्य रूप से इस आँकड़े से मापा जाता है कि कितने केस दर्ज हुए और कितने केसों को हल किया गया। पुलिस केस इसलिए दर्ज नहीं करती है क्योंकि फिर उन्हें इसकी जांच भी करनी होगी जबकि उनके पास लोग कम हैं और जो हैं वे भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के रोज के कार्यों में लगे रहते हैं और इससे उनके मुख्य दायित्व नष्ट हो जाते हैं। किसी पुलिस संस्थापना पर ऊँचे अपराध दर भद्दे लगते हैं इसलिए सबसे आसान विकल्प है दर्ज केसों की संख्या को कम रखना। जिसमें बेकार पुलिसिंग के सबूत ही न रखना ताकि अपने राजनैतिक स्वामियों के आगे किसी प्रकार की शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, विरोधी पार्टी को कुशासन का कोई मुद्दा ही न मिले और मीडिया भी शान्त बैठी रहे, सबकुछ अच्छा लगे बेशक जनता ख़ामोश मौत की गोद में जाती रहे।

अपराधों को दर्ज न करने की प्रथा सरासर गैर कानूनी है और यह 'न्याय तक पहुँच' बनाने में रुकावट का काम करती है– जोकि देशवासियों का मौलिक अधिकार है। पुलिस के इस इंकार के कई और दुष्परिणाम हैं जैसे कि जनता का पुलिस पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाना और अपनी मदद के लिए दूसरे रास्तों का उपयोग करना।

वर्तमान में बढ़ती हिंसा और पुलिस के कार्य–निष्पादन के विरुद्ध जनता की असंतुष्टि और बेहतर सुरक्षा और संरक्षण की मांग ने इस बात की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है कि पुलिस के कार्य–निष्पादन के आकलन के मापदण्डों में व्यापक बदलाव किया जाए।

वर्तमान में प्रचलित पुलिसिंग को मापने के लिए एक आयामी संख्यात्मक अपराध पर आधारित मापदण्ड को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने पुलिस सुधार को गति दे दी है। नये गठित राज्य सुरक्षा आयोग को केवल पुलिसिंग सम्बन्धित नीतियों को तय करने का काम ही नहीं दिया गया है बल्कि इसे पुलिस के कार्य–निष्पादन को मापने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है।

इस आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप की सफलता सुधरे हुए पुलिस कार्य–निष्पादन से प्रदर्शित होगा जोकि केवल अंशांकित सूचकों जैसे कि – जन संतुष्टि में बढ़ोतरी, महिलाओं और दूसरे कमजोर वर्ग में सुरक्षा और संरक्षण का आभास, अपराधों और अत्याचार में कमी, दोषियों से जवाबदेही (निकासी और अपराधसिद्धि), भय में कमी और सुरक्षा में बढ़ोतरी (घर और ें पर पड़ोस में सुरक्षा का एहसास), बल का उपयोग किफ़ायत और उचित रूप से करना, पैसे का उपयोग प्रभावपूर्ण और उचित रूप से किया जाए इसके अलावा कठिन सूचक जैसे कि लगातार होने वाले साम्प्रदायिक दंगों पर रोक।

इसे प्राप्त करने के लिए टारगेट तय करने की आवश्यकता है– दर्ज अपराधों का बेसलाईन सर्वे: पुलिस के कार्य निष्पादन से जनता की संतुष्टि और समुदाय में अपराधों की घटना की जानकारी के बारे में सर्वे करने की आवश्यकता है। नई वयवस्था से पूर्व निशिचत योजना, प्रावधानों और न्याययुक्त कार्यनिष्पादन मापदण्डों के आधार पर पुलिस के लगातार और सर्वांगी मुल्यांकन की सम्भावनाएं बनेगी जिससे कि साल दर सल पुलिस के बेहतर कार्यनिष्पादन की राह बनेगी। इसे कैसे प्राप्त करना है इसके सभी अवयव पहले से ही बतला दिये गये हैं, कमी है तो केवल कार्यान्वयन में। और अब समय है बदलने का।

– नवाज़ कोतवाल

पुलिस कार्य-निष्पादन सूचक - दक्षिण अफ्रिका

दक्षिण अफ्रिका में, नया संविधान पुलिस चौकसी निगरानी जिम्मेदारी पर बहुत ज़ोर देता है। दक्षिण अफ्रिका पुलिस सेवा (द.अ.पु.से.) की निगरानी राष्ट्रीय संसद और कैबिनेट, प्रान्तीय स्तर पर विधायकों और कार्यकारिणियों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सचिवालय, प्रान्तीय सचिवालय और सामुदायिक पुलिस फोरम द्वारा सुरक्षा के लिए निगरानी प्रदान की जाती है। एक स्वतन्त्र शिकायत निदेशालय पुलिस के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की जाँच करती है।

दक्षिण अफ्रिका में जटिल पुलिस निगरानी यंत्रावलि को इसके कार्य–निष्पादन पर रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। द.अ.पु.से. को, सरकार के निगरानी निकायों द्वारा जोकि विभिन्न विभागों (प्रशासन, प्रत्यक्ष पुलिसिंग, जासूसी सेवा, अपराधों की गुप्त सूचना और संरक्षण और सुरक्षा) का विश्लेषण उनके लिए पहले से निश्चित लक्ष्यों के अनुसार करते हैं, के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द.अ.पु.से. कार्यनिष्पादन सूचकों के सेट को विकसित करने में शामिल है जिसमें सम्पर्क सर्वे और पुलिस रिकॉर्ड से आँकड़ों को सम्मिलित किया जाता हैं। इसी प्रकार की रिपोर्ट द.अ.पु.से. प्रान्तीय विधायिका में भी जमा करती है।

द.अ.पु.से. व्यक्तिगत थानों को मानीटर करने के लिए कार्य–निष्पादन प्रबन्धन चार्ट विकसित कर रही है। एक मिश्रित ई.यू.प.ओ.ल.स.ए. तालिका पुलिसिंग सेवा के चार आयामों से मिलकर बनती है, इसमें सम्मिलित हैं:

- ऑपरेशन सम्बन्धी (शिकायतों की जाँच, इमरजेंसी कॉल, अपराध या कथित अपराध और अपराधकर्ता को न्याय तक लाना)
- सूचना (कम्प्यूटर डाटाबेस से अपराधों की सूचना)
- संसाधन (कार्मिकों, वाहनों, व्यवासायिक प्रवर्तन एंव अनुपस्थितियों का आवंटन)
- ग्राहक अनुकूलन (ग्राहकों की ज़रूरतों या समुदाय की आशाओं को पूरा करने की क्षमता)

कार्य–निष्पादनों की थानों के बीच तुलना करने के बजाय, यह व्यवस्था प्रत्येक थाने की उसके पूर्व कार्य–निष्पादन से तुलना करती है, थानों को रिपोर्ट की अवधि में सुधार के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्ध करती है जिसमें पिछले चार सालों के औसत का उपयोग अधिक तत्कालिक महीनों के पक्ष में होता है। इसका परिणाम होता है 'पढ़ने में आसान रिपोर्ट कार्ड' जो विभिन्न थानों में सम्बद्ध सुधार के तुरन्त विश्लेषण की इजाज़त देता है। जबकि द.अ.पु.से. द्वारा बनाए गए कार्य–निष्पादन सूचक दुनिया के सबसे बेहतरीन सूचकों में से एक है, दक्षिण अफ्रिका के अनुभव ने किसी भी पुलिस के कार्य–निष्पादन के मापने की कोशिश में आने वाली कठिनाईयों को भी उजागर किया है। द.अ.पु.से. के कार्य–निष्पादन सूचकों के उपयोग में मुख्यतः तीन समस्या है :

चूँकि सूचकों को लगातार शुद्ध किया जाता है, व्यक्तिगत परिमाण साल दर साल बदल कर बनाए जाते हैं, इससे सालों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है।

द.अ.पु.से. द्वारा कुछ सूचकों के निर्माण करने की प्रक्रिया अच्छी तरह उल्लेखित नहीं हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं होता है कि कौन सा कार्य–निष्पादन मापा जा रहा है।

आँकड़ों की शुद्धता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं : थानों से कुछ आँकड़े समय की रीति के अनुसार नहीं अपलोड किये जाते है और थानों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कुछ आँकड़े गलत भी होते हैं।

दक्षिण अफ्रिका के सुरक्षा और संरक्षण विभाग ने पुलिस सेवा को पाँच विभागीय कार्यक्रमों में संगठित किया है और प्रत्येक के लिए मापनीय लक्ष्य तय किये हैं। यह इस तरीके से, प्रत्येक कार्यक्रम के प्रभाव को समूचित रूप से मापने की आशा करते हैं और यह पता लगाते हैं कि पूलिस का कौन सा भाग सफल हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित कार्य–निष्पादन चार्ट यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिस पर दक्षिण अफ्रिका की पुलिस सेवा का मुल्यांकन किया जाता है।

मुख्य विभागीय कार्यक्रम और उप कार्यक्रम	मापने योग्य लक्ष्य
प्रोग्राम १-प्रशासन • मंत्री • उप मंत्री • कारपोरेट सेवाएं • सम्पत्ति प्रबंधन	विभागीय नीति विकसित करना और प्रशासनिक सहायता सहित विभाग का प्रबंधन करना।
प्रोग्राम २-प्रत्यक्ष पुलिसिंग • अपराध रोक-थाम • सीमावर्ती सुरक्षा • विशेषीकृत हस्तक्षेप	एक अग्रसक्रिय और प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग सेवा उपलब्ध कराकर सभी अपराधों को हतोत्साहित करना जो प्रधान्य अपराध दर को बढ़ने से रोकेगा।
प्रोग्राम ३-जासूसी सेवा • अपराध अनुसंधान • अपराधी रिकॉर्ड सेंटर • फौरेंसिक साईंस लैबोरेटरी	अनुसंधान करके और साक्ष्यों को एकत्रित कर उनके विश्लेषण द्वारा अपराधों के सफल अभियोजन में योगदान करना और अपराधों के पता लगाने के दर में गिरावट को रोकना।
प्रोग्राम ४-अपराध मुखबरी • अपराध मुखबरी ऑपरेशन • मुखबरी एंव सूचना प्रबंधन	मुखबिरों से सूचना को एकत्रित करके, क्रमवार लगाकर उनका विश्लेषण करके अपराधों को प्रभावहीन करने में योगदान करें जिससे की एक व्यवहार्य पुलिसिंग क्रिया की ओर बढ़ सके।
प्रेग्राम ५-सुरक्षा एंव संरक्षण सेवाएं • वी.आई.पी. सुरक्षा सेवाएं • बन्दरगाहों की प्रवेश सुरक्षा • स्थिर और अस्थिर सुरक्षा • रेलवे पुलिस • सरकारी सुरक्षा रेगुलेटर	विदेशी और स्थानीय प्रमुख लोगों की सुरक्षा करके सुरक्षा हनन को कम करना और सामरिक स्वार्थ को सुरक्षित करना।

पांच कार्यक्रमों को भी कई उप कार्यक्रमों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी युक्ति/सूचक और लक्ष्य हैं। प्रति वर्ष पुलिस सेवा के वास्तविक कार्य–निष्पादन को कार्य–निष्पादन चार्ट में दिये गये लक्ष्यों से तुलना की जाती है। इन परिणामों को दक्षिण अफ्रीका पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट में जनता के लिए उपलध कराया जाता है। लक्ष्य, सूचक और कार्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष समायोजित या रूपान्तरित किया जाता है।

– नवाज़ कोतवाल

क्या आप जानते हैं?

महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों में सख़्ती लाने के लिए १६ दिसम्बर २०१२ के बलात्कार के बाद सरकार ने कार्यवाही करते हुए आपराधिक कानून में बदलाव लाने के लिए उचित सलाह देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन सेवानिवृत न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट और सलाह एक महीने के भीतर सरकार को दे दिया। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार एक अध्यादेश जारी करने वाली थी जिसे अब कैबिनेट से पास भी कर दिया गया है।
सरकार ने इसमें बदलाव के लिए बुद्धिजीवियों से सलाह मांगी थी। इसके जवाब में तकरीबन ८०,००० लोगों/संस्थाओं ने जवाब भेजा और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) ने भी कुछ संगठनों के साथ मिलकर अपनी सलाह भेजी थी जिसे हम इस स्तम्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस से सम्बन्धित मामलों में कमेटी ने अधिकतर सी.एच.आर.आई द्वारा प्रस्तावित सलाहों को ही अपनाया है।

वर्मा कमेटी के समक्ष सी.एच.आर.आई. की प्रस्तुति

पुलिस सुधार वास्तव में ही एक प्रमुख मुद्दा है और इसकी तुरन्त आवश्यकता है। हमारा यह विचार है कि महिलाओं से सम्बन्धित अपराध हों या कोई और अपराध इसमें पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली में मरम्मत करने के लिए जाँच करने की ज़रूरत है, जिसमें से पुलिस पहला अंश है। इसके अनुसार हम चाहते हैं कि आपके माननीय आयोग द्वारा भारत के नागरिकों की निम्नलिखित आशाओं को अवश्य सम्बोधित किया जाए– जोकि हमारे देश के विविध राज्यों में लागू हो :

१. महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा को रोकने में पुलिस की भूमिका

सिफारिश

- पंजाब पुलिस नियमावली के अधीन आवश्यकतानुसार अपराधों की मैपिंग
- अपराध मैपिंग के परिणाम के आधार पर पुलिसकर्मियों की तैनाती
- रास्तों में पुलिस की बढ़ी हुई उपस्थिति

२. बलात्कार के केसों की जाँच में पुलिस की भूमिका

सिफारिश

- महिलाओं के विरुद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी एडवाइज़री और स्टैंडिंग ऑर्डर (स्थायी आदेशों) का तत्काल पालन
- किसी भी निर्धारित मानक के अनुपालन में असफल होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही
- सभी प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अच्छी तरह नियोजित प्रशिक्षण प्रोग्राम डाले जाएं
- अनुसंधान स्टाफ के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण

३. संस्थागत पक्षपात

सिफारिश

- संस्थागत पक्षपात को सम्बोधित करने और तत्काल परिणाम दर्शाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न पुलिस बलों द्वारा किसी भी नई भर्ती में १०० प्रतिशत भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए जब तक कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो।
- विधायका को पुलिस के रिपोर्ट में यह अवश्य ही बतलाना चाहिए कि महिलाओं का पुलिस पर विश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया और महिलाओं को क्या सुविधाएं दी गईं और कार्य–स्थिति में क्या सुधार किया गया ताकि महिलाओं द्वारा पुलिसिंग के काम को अच्छी तरह करना सुनिश्चित हो सके।
- सुधार को मापने के लिए एक बेसलाईन निश्चित करने के साधन के तौर पर, हम इस पर भी पुरज़ोर तरीके से सलाह देना चाहते हैं कि संस्थागत पक्षपात के प्रदर्शन को आधिकारिक संस्थानों जैसे कि पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्योरो द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए और यह इसमें सुधार के लिए हस्तक्षेप डिज़ाईन करने का आधार बन जाएगा।
- सभी पुलिस संस्थापना की एक विशिष्ट योजना होनी चाहिए। इसे वार्षिक स्तर पर भर्ती को बढ़ाने, बल में पहले से मौजूद महिलाओं की स्थिति और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने, विशिष्ट दलों को बनाए रखने और उनके पुनः सामाजीकरण की कार्यवाही बिंदूओं की व्याख्या अवश्य करनी चाहिए। योजना और इसके अंतर्गत कार्यवाही, दोनों का ब्योरा बजट पास किये जाने के पहले इसे विधायका और राज्य सुरक्षा आयोग या अन्य निगरानी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

(नोट : शेष भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा।)

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

पृष्ठ १ का शेष .....

गया हुआ है वहाँ से आवंटन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरु हो जाएगी और प्रशिक्षण के बाद तकरीबन एक वर्ष में वे सभी महिला पुलिकर्मी काम पर लग जाएंगी।

क्या आपके विचार में आम भर्ती प्रक्रिया में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि बल में उनकी एक उचित भागीदारी बन सके?

देखिए, यह अनुपात एक दम से बढ़ जाए ऐसा सम्भव नहीं है। पहले उनकी भागीदारी १ प्रतिशत थी अब ६-७ प्रतिशत है। इसी प्रकार कुछ सालों में २५-३० प्रतिशत हो जाएगा। अगर आरक्षण करते हैं तो सक्षम लोग आने चाहिए इसलिए बेहतर यही है कि जो सक्षम हैं वही बल में सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आएं अन्यथा कठिनाई होगी। दिल्ली में उनका अनुपात यह ६-७ प्रतिशत है लेकिन कई स्थानों पर यह अनुपात १५ तक का है और कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि आरक्षण द्वारा नियुक्त लोग ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं।

सर, पिछले वर्ष जुलाई में आपकी निगरानी में दिल्ली के थानों के आम स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन कुछ को छोड़कर यह काम सभी स्थानों में नहीं दिखाई पड़ता है। इसके क्या कारण हैं?

देखिए, वह एक व्यक्तिगत स्तर पर शुरुआत थी और थानों को पूरी तरह नया बनाने की कोई विशिष्ट परियाजना नहीं थी। इसे एक पायलट कार्यवाही समझें जिसके अंतर्गत तुगलक रोड थाने का स्तरीकरण किया गया था। हालांकि, अब जो नए थाने बन रहे हैं वह इसी आधार पर बन रहे हैं लेकिन सभी स्थानों पर ऐसा कोई बदलाव नहीं लाया गया है। अगर आप किसी बैरक को बदलने की बात करें तो भी आप बिल्डिंग नई बना कर दे सकते हैं लेकिन उसमें कर्मचारी किस प्रकार रहते हैं वह उनकी अपनी पसन्द और आदत पर निर्भर करता है।

क्या आपके विचार में महिलाओं के लिए अलग थानों की स्थापना करना एक सही कदम है, महिलाओं की सहायता की ओर?

मेरे विचार में महिलाओं के लिए अलग थानों की स्थापना करने से अच्छा उनके लिए थानों में ही एक हेल्प डेस्क की स्थापना करना है, जैसा कि हमने दिल्ली के सभी थानों में किया है। यहाँ २४ घण्टे उनकी हर प्रकार की शिकायत सुनने के लिए पुलिस मौजूद होती है।
जहाँ कहीं भी, तमिलनाडू आदि में सम्पूर्ण महिला थाने बनाए गए हैं वहाँ यह सफल नहीं माने गए हैं क्योंकि अगर आरोपी को पकड़ेंगे तो रखने के लिए भी पुरूष पुलिसकर्मी का साथ होना बेहतर है क्योंकि वह भी अधिकतर पुरूष ही होगा।
हमने दिल्ली के मौरिस नगर में एक महिला थाना स्थापित किया है लेकिन वहाँ भी पुलिसकर्मी दोनों प्रकार के तैनात किए गए हैं।

अंत में, १६ दिसम्बर की घटना के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उठाए गए कदम कौन–कौन से हैं?

सभी १६१ थानों में २४ घण्टों के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई है, इनके लिए १६१ नऐ टेलिफोन कनेक्शन लिये गये हैं, १०० नम्बर पर पहले केवल ६० लाईनें थीं उन्हें बढ़ा कर १०० कर दी गई हैं। इसके अलावा स्थानीय थाना कमिटी बनाई गई है जिसमें वहाँ के आर.डब्ल्यू.ए. के सदस्य, स्कूल प्राध्यापक, सिविल डिफेंस वर्कर और दूसरे प्रतिष्ठित लोग मिलकर १५ दिनों में एक बार मीटिंग करेंगे और अपने क्षेत्र में महिलाओं के प्रति किसी अपराध या उससे सम्बन्धित बातों पर चर्चा करेंगे, पी.सी.आर. गाड़ियों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है, हालांकि पहले भी उनकी तैनाती इसमें होती थी।

आपके विचार

महोदया नमस्कार,

लोक पुलिस के दिसम्बर २०१२ का अंक पढ़ने को मिला। इसमें कार्य–निष्पादन सूचकों के बारे में लेख बेहद सराहनीय है। किसी काम को किस आधार पर अच्छा कहा जाएगा, इसकी जानकारी अगर हमें पहले से हो और इस प्रकार हमें किसी काम के लिए निश्चित किये गए टारगेट को प्राप्त करने पर यदि पारश्रमिक के तौर पर जनता और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की शाबाशी मिल जाए तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी पैदा होगी।

वर्तमान में हम जो भी काम अपने सीनियर के निर्देश के बगैर करते हैं वह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है क्योंकि वह करना हमारे लिए कितना आवश्यक है आम तौर पर हमें मालूम ही नहीं होता है। इसलिए अगर हमारे लिए भी ज़िला स्तर पर कार्य–निष्पादन सूचक तय कर दिये जायें तो हमें अपने दायित्वों के बेहतर निर्वाह में सहायता मिलेगी।

हेड कांस्टेबल, धनबाद
सदस्य, झारखण्ड पुलिस

सम्पादक जी,

दिसम्बर के अंक में श्री ईश कुमार जी के साक्षात्कार से नेशनल पुलिस मिशन द्वारा चलाई जा रही कई परियोजनाओं और शोध विषयों पर जानकारी सराहनीय थी। इसमें प्रोमोशन के लिए प्रस्तावित योजना हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। आशा है इस पर कार्यवाही की जाएगी और हर स्तर पर नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

धन्यवाद!

सब इंस्पेक्टर, भोपाल
मध्य प्रदेश

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

महिला कांस्टेबुलरी की व्यथा

महिला कांस्टेबलों की स्थिति और उनकी उपस्थिति में जहाँ हम सुधार करने की बात करते हैं, वहीं बैंगलोर के दक्षिणपूर्व डिवीजन के एक थाने में २६ वर्षों से कार्यरत एक महिला हेड कांस्टेबल केवल २०,००० रुपए वेतन पाती हैं और इतने वर्षों के बाद भी इन्हें रहने के लिए सरकारी आवास नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं उनके लिए इससे भी बड़ी कठिनाई इसमें है कि जहाँ वह काम करने जाती हैं वहाँ उनके लिए शैचालय भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वह और उनके साथ दो जूनियर कांस्टेबलों के पास, शौच का उपयोग करने के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि ''पुरुष कहीं भी चले जाते हैं लेकिन कल्पना करें कि हमें इस आधिकारिक पद पर होते हुए भी शौच के लिए दूसरों से विनती करने में कितना बुरा लगता होगा''।

बैंगलोर पुलिस में ६.६५ प्रतिशत हिस्सा महिला कांस्टेबलों का है और इनमें से ६६५ महिलाओं की आकस्मिक पूछताछ करने के बाद यह मालूम हुआ कि शहर के केन्द्रीय भाग से जितनी दूर के थानों में उनकी तैनाती हो कठिनाईयाँ उतनी ही अधिक हैं। कुछ बड़े थानों को छोड़कर अधिकतर महिलाएं पुरुषों वाला ही शौचालय उपयोग करने को मजबूर हैं।

इसी प्रकार की एक और समस्या है, सुरक्षित कार्य वातावरण का न होना। हालांकि, महिला कांस्टेबल रात की ड्यूटी नहीं करती हैं, इनमें से अधिकतर ने बतलाया कि उनकी कार्य अवधि प्रायः ही ८-६ बजे रात्री तक होती है और इसके बाद घर पहुँचना एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर वे किसी बंदोबस्त ड्यूटी पर हैं या कोई वी.आई.पी. विज़िट हो तो कार्य–अवधि ११ बजे रात तक भी बढ़ जाती है और उसके बाद घर पर छुड़वाने का कोई प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा नहीं करवाया जाता है। सेन्ट्रल पुलिस डिवीजन की एक कांस्टेबल के अनुसार ''यह बहुत अजीब है हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सड़कों को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन यह एक गंभीर चिंता है, एक बार जब हम थाने से बाहर होते हैं, किसी भी दूसरी कामकाजी महिला की ही तरह होते हैं।'' न केवल यह बल्कि कई बार उन्हें दो–तीन सप्ताह तक छुट्टी नहीं मिलती। इसके अलावा, स्नेहा नामक एक कांस्टेबल जिसे १२००० रुपए वेतन मिलता है, वह शहर में घर का किराया नहीं दे सकती और इसलिए शहर के बाहरी क्षेत्र में रहने को विवश है और वहाँ से थाने का सफर एक से डेढ़ घण्टे का होता है।

कई महिला कांस्टेबलों को महसूस होता है कि उन्हें प्रोमोशन चक्र में पीछे छोड़ दिया गया है और उनके कैरियर की संभावनाएं कम हैं। क्योंकि उन्हें केवल 'आसान काम' दिये जाते हैं, उन्हें पुलिसिंग की मुख्यधारा का भाग नहीं समझा जाता है और वे पदोन्नति की सबसे निचली सीढ़ी पर होती हैं। कांस्टेबल मधु ने बताया "हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है और लगातार यह याद दिलाया जाता है कि हम सीरियस पुलिस स्टाफ नहीं हैं"। कई अधिकारियों से बात करने पर भी लगता है कि वे मानते हैं कि क्योंकि महिलाओं को हल्के–फुल्के काम दिये जाते हैं, इसलिए उनके पास कोई 'वास्तविक शिकायत' नहीं होती। बैंगलोर हो या फिर कोई और महानगर या फिर किसी पिछड़े राज्य का कोई थाना महिला कांस्टेबुलरी के बारे में अधिकांशतः उपरोक्त प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि, पिछले आल इंडिया महिला पुलिस कांफ्रेंस में यह निकल कर आया था कि महिला पुलिस को मुख्यधारा की पुलिसिंग में लाने को प्राथमिकता देनी होगी और महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें कार्य अवधि में लचीलापन लाना होगा ताकि अधिक से अधिक महिलाएं बल में आने में रुचि दिखाएं और उनका बल में अनुपात ठीक हो सके। लेकिन, कार्यान्वयन के स्तर पर कहीं कोई विशेष कदम उठाए जाने की बात सामने नहीं आई है। इसलिए पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है इस कांफ्रेंस की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना और यह सभी स्थानों पर समान रूप से किया जाना चाहिए।

(सौजन्य : द हिंदू डॉट कॉम, २९ जनवरी २०१३)

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए नया ऐक्शन प्लान

बलात्कार के कानून को और कठोर बनाने के बाद केन्द्र अब महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए एक नये समयबद्ध ऐक्शन प्लान के साथ आई है। इसने किसी भी थाने में अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्रस्ताव रखा है, एक राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी जवाबदेह नम्बर की शुरुआत करने की बात की है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के दोषी पाये गये लोगों की पहचान को सबके सामने लाना, और महिलाओं की यात्रा में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

बहुत समय से सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एफ.आई.आर. दर्ज करने के कानून में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए और अधिकारक्षेत्र की सीमा से हटकर इसे किसी भी थाने में दर्ज कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए, सरकार ने तय किया है कि अपराध के थाने से हटकर भी एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा सकेगी और बाद में इसे जाँच के लिए अधिकारक्षेत्र वाले थाने में हस्तांतरित किया जाएगा।

इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए एक कदम लेते हुए इसके दोषी पाए गए लोगों की जानकारी को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसे अपराधियों का डाटाबेस तैयार करके अपने वेबसाईट पर डालेगी।

सरकार, अमेरिका के इमरजेंसी नम्बर ६११ के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी नम्बर की शुरुआत करने जा रही है जो किसी भी परिस्थिति में चाहे वह आग, पुलिस या मेडिकल इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित हो। नई सेवा सभी टैलीफोन सेवाप्रदाताओं के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी ताकि परेशानी में पड़े व्यक्ति के पास एक सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हो। इस आम इमरजेंसी नम्बर के अलावा सरकार एक अलग राष्ट्रवयापी नम्बर उपलब्ध कराएगी जोकि परेशानी में पड़ी महिलाओं के लिए होगा।

इसके अलावा देश में सार्वजनिक यातायात के साधनों को बेहतर बनाने के लिए सरकार 'केवल महिलाओं के लिए' बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक बस के स्टाफ के पहचान को भी पूरी तरह स्पष्ट कराया जाएगा। साथ ही, पुलिस सुधार की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है कि जो कोई भी परेशानी में पड़ी महिला की मदद करेगा उसे किसी प्रकार के पुलिस उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी जो महिलाओं के साथ या तो ठीक बर्ताव नहीं करेंगे या फिर जो अपनी सुपरवाईज़री ड्यूटी में फेल हो गए हों।

उपरोक्त सभी प्रयत्न सराहनीय हैं लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि यह सब १६ दिसम्बर २०१२ की घटना के पहले भी तो सोचा जा सकता था। उचित बदलाव और सुधार के लिए और कितनी आहुतियाँ दी जाती रहेंगी?

(सौजन्य : द हिंदू डॉट कॉम, ६ फरवरी २०१३)

पुलिस का संवेदीकरण और अधिक महिलाओं की भर्ती आवश्यक!

प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के एक कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुलिसबल को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं, के विरुद्ध अपराध के मामले में अधिक सावधानी दिखाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि 'महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिक महिला पुलिसकर्मियों को बल में सम्मिलित करने की जरूरत है।' 'मैं राज्यपालों से निवदेन करता हूँ कि वे अपनी राज्य सरकारों को इस दिशा में मार्ग दर्शन करें।'

१६ दिसम्बर २०१२ के भयंकर बलात्कार के केस पर टिप्पणी करते हुए जहाँ २३ वर्षीय पीड़िता की मृत्यू हो गई थी कहा कि 'इस घटना ने देश की संग्रहित अंतरात्मा को झकझोड़ दिया है हालांकि सरकार ने तुरन्त करार्यवाही करते हुए वर्मा कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है ताकि महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के कठोर प्रकृति के अपराधों से निपटने के लिए कानून को मज़बूत बनाया जा सके।'

प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में अधिक महिलाओं की भर्ती और पुलिस के संवेदीकरण करने की बात कही है, लेकिन क्या इससे पुलिस में सुधार हो पाएगा उस सर्वांगी बदलाव का क्या जिसे करने की सबसे पहले आवश्यकता है?

(सौजन्य : द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १२ फरवरी २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली :. ६१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ६१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org